कु० 13

गा० 04.06.19

उत्तराखण्ड शासन
गृह अनुभाग–7
संख्याः 945/XX–7–2019–01(66)2016
देहरादूनः दिनांक 04 ~~मई~~ जून 2019

अधिसूचना
प्रकीर्ण

राज्यपाल, उत्तराखण्ड पुलिस अधिनियम 2007(अधिनियम संख्याः 1 वर्ष 2008) की धारा 3 सपठित धारा 87 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्ति और इस निमित्त अन्य समस्त समर्थकारी शक्तियों का प्रयोग करके तथा इस विषय पर विद्यमान सभी नियमों का अधिक्रमण करते हुए उत्तराखण्ड पुलिस की आरमोरर शाखा में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती तथा सेवा शर्तें विनियमित करने के लिये निम्नलिखित सेवा नियमावली बनाते हैं :–

उत्तराखण्ड पुलिस आरमोरर शाखा सेवा नियमावली, 2019

भाग–एक सामान्य

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1. (i) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड पुलिस आरमोरर शाखा सेवा नियमावली, 2019 है।
(ii) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

सेवा की प्रास्थिति 2. उत्तराखण्ड पुलिस आरमोरर शाखा सेवा में समूह "ग" के पद समाविष्ट हैं,

परिभाषायें 3. जब तक कि विषय या सन्दर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो इस नियमावली में:–
(क) **"नियुक्ति प्राधिकारी"** से निरीक्षक तथा उपनिरीक्षक आरमोरर की दशा में पुलिस उपमहानिरीक्षक तथा मुख्य आरक्षी व आरक्षी आरमोरर की दशा में पुलिस अधीक्षक/सेनानायक या समकक्ष अधिकारी अभिप्रेत है;
(ख) **"भारत का नागरिक"** से ऐसे व्यक्ति अभिप्रेत है, जो भारत का संविधान के भाग–दो के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाता है;
(ग) **"संविधान"** से "भारत का संविधान" अभिप्रेत हैं;
(घ) **"सरकार"** से उत्तराखण्ड राज्य की सरकार अभिप्रेत है;
(ड.) **"राज्यपाल"** से उत्तराखण्ड के राज्यपाल अभिप्रेत है;
(च) **"विभागाध्यक्ष"** से उत्तराखण्ड पुलिस के महानिदेशक अभिप्रेत है;
(छ) **"सेवा का सदस्य"** से इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ से पूर्व प्रवृत्त नियमावली या आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है;
(ज) **"पुलिस मुख्यालय"** से पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड का कार्यालय अभिप्रेत है;

(झ) **"सेवा"** से उत्तराखण्ड पुलिस आरक्षी, आरमोरर, मुख्य आरक्षी आरमोरर, उपनिरीक्षक आरमोरर एवं निरीक्षक आरमोरर की सेवा अभिप्रेत है;

(ञ) **"चयन समिति"** से सेवा के पद पर नियुक्ति/पदोन्नति हेतु कर्मियों के चयन के लिये गठित चयन समिति अभिप्रेत है;

(ट) **"मौलिक नियुक्ति"** से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति अभिप्रेत है, जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात् की गयी हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार चयन के पश्चात की गयी हो;

(ठ) **"भर्ती का वर्ष"** से कैलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि अभिप्रेत है;

भाग–दो संवर्ग

सेवा का संवर्ग

4. (1) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी, जितनी सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित की जाय।

(2) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या **परिशिष्ट** में दी गई है, जब तक कि उपनियम (1) के अधीन उसे परिवर्तित करने का आदेश पारित न हो:

परन्तु यह कि:–

(i) सरकार कुल स्वीकृत नियतन के अन्तर्गत विभिन्न शाखाओं के पदों की संख्या को पुर्ननिर्धारित कर सकेगी।

(ii) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड सकेगा या राज्यपाल उसे आस्थगित रख सकते है, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(iii) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकते है जिन्हे वह उचित समझे।

भाग–तीन
भर्ती

भर्ती का स्रोत

5. सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों की भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी:–

(1) **आरक्षी आरमोरर:**– आरक्षी आरमोरर के शत्–प्रतिशत पदों पर चयन मौलिक रूप से नियुक्त आरक्षी सशस्त्र पुलिस, आरक्षी पी0ए0सी0 तथा आरक्षी आई0आर0बी0 से भरे जायेंगे, जो नियम–9 में उल्लिखित पात्रता रखते हों।

(2) **मुख्य आरक्षी आरमोररः—** मुख्य आरक्षी आरमोरर के पद नियम 10 में उल्लिखित अर्हतायें पूर्ण करने वाले आरक्षी आरमोरर में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा भरे जायेंगे।

(3) **उपनिरीक्षक आरमोररः—** उपनिरीक्षक आरमोरर के पद नियम 11 में उल्लिखित अर्हतायें पूर्ण करने वाले मुख्य आरक्षी आरमोरर में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा भरे जायेंगे।

(4) **निरीक्षक आरमोररः—** निरीक्षक आरमोरर के पद नियम 12 में उल्लिखित अर्हतायें पूर्ण करने वाले उपनिरीक्षक आरमोरर में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा भरे जायेंगे।

आरक्षण

6. उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछडे वर्ग तथा अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण भर्ती/चयन के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

भाग—चार
भर्ती प्रकिया

रिक्तियों की अवधारणा

7. नियुक्ति प्राधिकारी भर्ती के वर्ष में होने वाली रिक्तियों की संख्या अवधारित करेगा और उसकी सूचना पुलिस मुख्यालय को देगा, नियुक्ति प्राधिकारी रिक्तियों की संख्या चयन समिति को उपलब्ध करायेगा।

आरक्षी आरमोरर के पदों की संख्या का निर्धारण

8. आरक्षी आरमोरर के पदों की संख्या का निर्धारण नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा किया जायेगा, इस संख्या का आंकलन भर्ती के वर्ष की पहली जुलाई को उपलब्ध रिक्तियों तथा वर्ष भर सेवानिवृत्ति के परिणामस्वरूप घटित होने वाली परिणामी रिक्तियों को सम्मिलित करके किया जायेगा।

आरक्षी आरमोरर के पद पर चयन हेतु अर्हताये

9. **आरक्षी आरमोरर के पद पर चयन हेतु यह आवश्यक है किः—**

(i) आरक्षी ने इण्टर मीडिएट या उसके समकक्ष कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

(ii) विज्ञान विषय से उत्तीर्ण एवं आरमरी से सम्बन्धित कोर्स किए हुए आरक्षी को चयन में प्राथमिकता दी जायेगी।

(iii) उसने भर्ती वर्ष के प्रथम दिवस को 05 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो। (प्रशिक्षण अवधि को छोडकर)

(iv) आरक्षी की आयु 35 वर्ष से अधिक न हो।

(v) विगत पांच वर्षों की अवधि मेंः—

(क) सत्यनिष्ठा रोकी न गई हो या

(ख) कोई दीर्घ दण्ड न मिला हो या

(ग) दो या उससे अधिक लघु दण्ड न मिला हो या
(घ) कोई प्रतिकूल प्रविष्टि न मिली हो।

(vi) इस पद पर चयन हेतु आरक्षी सशस्त्र पुलिस/पी.ए.सी./आई.आर.बी./एस0डी0आर0एफ0/ए.टी.सी./पी.टी.सी.एफ0 एस0 एल0/इत्यादि के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/सेनानायक/प्रधानाचार्य, इत्यादि के माध्यम से उक्तानुसार योग्य आरक्षियों के नामांकन प्राप्त किये जायेंगे।

(2) चयन समितिः— आरक्षी सशस्त्र पुलिस, आरक्षी पीएसी, आरक्षी आईआरबी में से मुख्यालय स्तर पर आरक्षी आरमोरर के चयन हेतु निम्न अधिकारियों से मिलकर चयन समिति गठित की जायेगीः—

(1) वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक स्तर का 01 अधिकारी —अध्यक्ष।
(2) अपर पुलिस अधीक्षक स्तर का 01 अधिकारी —सदस्य।
(3) पुलिस उपाधीक्षक स्तर का 01 अधिकारी —सदस्य।

चयन समिति चयनित अभ्यर्थियों की सूची पुलिस मुख्यालय को अपनी संस्तुति सहित उपलब्ध करायेगी, जिस पर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक, कार्मिक से अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा, इसके पश्चात् नियुक्ति आदेश निर्गत किये जायेंगें।

मुख्य आरक्षी आरमोरर के पद पर चयन हेतु अर्हतायें

10. **मुख्य आरक्षी के पद पर चयन हेतु यह आवश्यक है कि आरक्षी नेः—**
(क) प्री—बेसिक कोर्स उत्तीर्ण किया हो या
(ख) सेना का बेसिक आरमोरर ग्रेड—II या उसके समकक्ष कोर्स उत्तीर्ण किया हो।
(ग) आरक्षी आरमोरर के पद पर 05 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो।
(घ) विगत पांच वर्षों की अवधि मेंः—
(क) सत्यनिष्ठा रोकी न गई हो या
(ख) कोई दीर्घ दण्ड न मिला हो या
(ग) कोई लघु दण्ड न मिला हो।
(घ) कोई प्रतिकूल प्रविष्टि न मिली हो।

उप निरीक्षक आरमोरर के पद पर चयन हेतु अर्हतायें

11. **उप निरीक्षक आरमोरर के पद पर चयन हेतु यह आवश्यक है कि मुख्य आरक्षी नेः—**
(क) सेना का बेसिक आरमोरर ग्रेड तृतीय कोर्स या उसके समकक्ष कोर्स उत्तीर्ण किया हो।
(ख) आरमोरर ग्रेड द्वितीय कोर्स या उसके समकक्ष कोर्स उत्तीर्ण किया हो।
(ग) मुख्य आरक्षी आरमोरर के पद पर 05 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो।
(घ) विगत पांच वर्षों की अवधि मेंः—

(क) सत्यनिष्ठा रोकी न गई हो या
(ख) कोई दीर्घ दण्ड न मिला हो या
(ग) कोई लघु दण्ड न मिला हो।
(घ) कोई प्रतिकूल प्रविष्टि न मिली हो।

निरीक्षक आरमोरर के पद पर चयन हेतु अर्हतायें

12. **निरीक्षक आरमोरर के पद पर चयन हेतु यह आवश्यक है कि उप निरीक्षक ने:—**

(क) सेना का बेसिक आरमोरर ग्रेड द्वितीय कोर्स या उसके समकक्ष कोर्स उत्तीर्ण किया हो।

(ख) आरमोरर ग्रेड प्रथम कोर्स या उसके समकक्ष कोर्स उत्तीर्ण किया हो।

(ग) उप निरीक्षक आरमोरर के **पद** पर 10 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो।

(घ) विगत पांच वर्षों की अवधि में:—
(क) सत्यनिष्ठा रोकी न गई हो या
(ख) कोई दीर्घ दण्ड न मिला हो या
(ग) कोई लघु दण्ड न मिला हो।
(घ) कोई प्रतिकूल प्रविष्टि न मिली हो।

प्रशिक्षण हेतु अर्हतायें

13. (i) आरक्षी आरमोरर के पद पर चयनित आरक्षियों को 02 माह का आरमरी से सम्बन्धित विभागीय प्रशिक्षण केन्द्रीय आयुद्धशाला 31 वीं वाहिनी पी0ए0सी0 रूद्रपुर, ऊधमसिंहनगर में दिया जायेगा।

(ii) आरक्षी आरमोरर के पद पर नियुक्ति के उपरान्त सेना का ग्रेड—III कोर्स वरिष्ठता के आधार पर कराया जायेगा।

(iii) ऐसे मुख्य आरक्षी आरमोरर जिनका चयन नियम 10 में उल्लिखित प्रकिया के अधीन किया गया है, उन्हें निम्नलिखित अर्हतायें/पात्रता पूर्ण करने पर आरमोरर ग्रेड II या समकक्ष आयुद्ध प्रशिक्षण में सम्मिलित किया जायेगा:—

(क) मुख्य आरक्षी आरमोरर के **पद** पर 03 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो।

(ख) किसी प्रकार की विभागीय/न्यायिक कार्यवाही/सीआईडी/सतर्कता जांच लम्बित/प्रचलित न हो।

(ग) ग्रेड—II की महत्ता/उपयोगिता के दृष्टिगत सुयोग्य कार्मिको के चयन के लिये निम्नलिखित अधिकारियों की चयन समिति गठित की जायेगी:—
(i) पुलिस उप महानिरीक्षक स्तर का 01 —अध्यक्ष।
(ii) पुलिस अधीक्षक/अपर पुलिस अधीक्षक स्तर का 01 अधिकारी —सदस्य।
(iii) पुलिस उपाधीक्षक स्तर का 01 अधिकारी —सदस्य।

(घ) चयन समिति द्वारा कुल 100 अंको की परीक्षा करायी जायेगी, जो निम्नवत होगी:—

(i) **लिखित परीक्षा (50 अंक):**– लिखित परीक्षा हेतु प्रश्न पत्र चयन समिति द्वारा तैयार किया जायेगा, जो शस्त्रों एवं पुर्जो के सम्बन्ध में होंगे। उक्त लिखित परीक्षा में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले कार्मिक ग्रेड–II कोर्स हेतु पात्र होंगे।

(ii) **तकनीकी परीक्षा (50 अंक):**–

(1) इस परीक्षा के लिए निम्नलिखित तीन भाग होंगे:–

(क) पेंचिग– 10 अंक,

(ख) शस्त्रों को खुलवाना, जोड़ना व रिपयेरिगं–20 अंक

(ग) पुर्जो का ज्ञान– 20 अंक

(2) उक्त तकनीकी परीक्षा में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले कार्मिक ग्रेड–II के प्रशिक्षण हेतु पात्र होंगे।

परीक्षाफल:–लिखित एवं तकनीकी परीक्षा में प्राप्त अंको के योग के आधार पर श्रेष्ठता सूची तैयार कर की जायेगी। चयन समिति द्वारा कुल उपलब्ध पदो के सापेक्ष श्रेष्ठता सूची पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी, जिसके आधार पर वरिष्ठता क्रम में प्राप्त सीटों के आधार पर योग्य अभ्यर्थियों को ग्रेड II या उसके समकक्ष आयुधिक प्रशिक्षण हेतु भेजा जायेगा।

(IV) भारत सरकार से निर्धारित संख्या मे प्राप्त सीटों के क्रम में अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता क्रम में उपनिरीक्षक आरमोररों का ग्रेड–I या उसके समकक्ष आयुधिक प्रशिक्षण हेतु नांमाकन किया जायेगा। इन अभ्यर्थियों को विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों में निर्धारित प्रशिक्षण कराया जायेगा।

पदोन्नति लेने से इन्कार

14. यदि कोई कर्मचारी दी गई पदोन्नति को लेने से इन्कार कर देता है तो उसके कनिष्ठ को चयन समिति पदोन्नति दे सकेगी और इस परिस्थिति मे ज्येष्ठ कर्मचारी अपने प्रोन्नति में उस दिन से ज्येष्ठता नहीं मांग सकेगा, जिस दिन उसके सापेक्ष रिक्त पद पर पदोन्नति दी गयी थी।

पदनाम के संबंध में उपबन्ध

15. ऐसे प्रशिक्षित मुख्य आरक्षी जिन्होनें मौलिक पद (आरक्षी के पद की सेवा को मिलाकर) के संदर्भ में 16 वर्ष की नियमित संतोषजनक सेवा पूर्ण कर ली है और जिन्हें उप निरीक्षक के पद के समकक्ष वेतनमान स्वीकृत हो चुका है, को मुख्य आरक्षी (प्रोन्नत वेतनमान) का पदनाम दिया जायेगा। मुख्य आरक्षी (प्रोन्नत वेतनमान) के कार्यों का निर्धारण विभागाध्यक्ष द्वारा किया जायेगा एवं वे सहायक उप निरीक्षक(एम) की भांति वर्दी धारण करेंगें।

आरक्षी आरमोरर का प्रत्यावर्तन

16. यदि कोई आरक्षी आरमोरर अपने पद पर कार्य करने का इच्छुक नहीं है अथवा नियुक्ति प्राधिकारी को ऐसे कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेगें, यह प्रतीत होता है कि किसी आरक्षी आरमोरर को आरमोरर शाखा में बनाये रखना विभाग के हित में नहीं है, तो उनको आरक्षी के मूल पद पर प्रत्यावर्तित किया जायेगा,

परन्तु प्रत्यावर्तन के पूर्व संबधित कर्मचारी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया जायेगा तथा उनके द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रत्यावेदन, यदि कोई है, पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सम्यक रूप से विचार किया जायेगा।

भाग– पांच

ज्येष्ठता, परिवीक्षा, स्थाईकरण व स्थानान्तरण

ज्येष्ठता

17. विभागीय प्रशिक्षण में उत्तीर्ण आरक्षियों को आरक्षी आरमोरर के रिक्त पदों पर पीएसी/आईआरबी/जिला पुलिस/एटीसी /पीटीसी/एफएसएल में आयुद्धशाला में प्राप्ताकों के आधार पर वरिष्ठता क्रम में नियुक्ति प्रदान की जायेगी। परस्पर ज्येष्ठता आरमोरर प्री–बेसिक प्रशिक्षण में प्राप्ताकों के आधार पर निर्धारित की जायेगी। समान अंक प्राप्त करने वाले आरक्षियों में अधिक सेवाकाल का आरक्षी ज्येष्ठ होगा।

परिवीक्षा

18. (1) आरमोरर शाखा सेवा में नियुक्त व्यक्ति को नियुक्ति की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेगे, अलग–अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि को बढा सकता है, जिसमें ऐसी तिथि विनिर्दिष्ट की जायेगी, जब तक अवधि बढायी जाय:

परन्तु आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नही बढायी जायेगी।

(3) यदि परिवीक्षा अवधि या बढायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नही किया है या समाधान प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है तो उसे उसके मौलिक पद पर प्रत्यावर्तित किया जा सकेगा। जिस परिवीक्षाधीन व्यक्ति को प्रत्यावर्तित किया जायेगा वह किसी प्रतिकर का हकदार नही होगा।

स्थायीकरण

19. किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढायी गयी परिवीक्षा अवधि की समाप्ति पर उसकी नियुक्ति के पद पर स्थायी कर दिया जायेगा यदि:–

(क) उसका कार्य एवं आचरण संतोषजनक पाया जाय:

(ख) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाय:

(ग) नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाये कि वह स्थायीकरण के लिए अन्यथा उपयुक्त है।

स्थानान्तरण

20. विभागाध्यक्ष अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी, जो नियुक्ति प्राधिकारी से कनिष्ठ न हो, द्वारा सेवा के सदस्यों को किसी जिले/इकाई में स्थानान्तरित किया जा सकेगा।

भाग–छः
वेतन, भत्ते आदि

वेतनमान

21. (1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्त कर्मियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जाय।
(2) सेवा के सदस्यों का वेतनमान इस नियमावली के प्रारम्भ के समय निम्न प्रकार है:–

क्र0	पदनाम	वेतनमान
1	निरीक्षक आरमोरर	वेतन लेवल–8 रू0 47600–151100
2	उपनिरीक्षक आरमोरर	वेतन लेवल–7 रू0 44900–142400
3	मुख्य आरक्षी आरमोरर	वेतन लेवल–4 रू0 25500–81100
4	आरक्षी आरमोरर	वेतन लेवल–3 रू0 21700–69100

भाग–सात
प्रकीर्ण उपबन्ध

पक्ष समर्थन

22. किसी अन्य पद या सेवा में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिशों से भिन्न किन्ही सिफारिशों पर चाहे लिखित हो या मौखिक, विचार नहीं किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिए अनर्ह कर देगा।

अन्य विषयों का विनियमन

23. ऐसे विषयों के सम्बन्ध में, जो विनिदिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्यकलाप के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतः लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा नियंत्रित होगें।

सेवा की शर्तो में शिथिलता

24. जहॉ राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है, वहॉ वह उस मामले में लागू नियमों में किसी बात के होते हुए भी आदेश द्वारा उस सीमा तक और ऐसी शर्तो के अधीन रहते हुए, जिन्हें वह मामले में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति

से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे, उस नियम की अपेक्षाओं से अभिमुक्ति दे सकेगी या उसे शिथिल कर सकेगी।

व्यावृत्ति

25. इस नियमावली में किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पडेगा, जिनका इस संबंध में सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य के अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछडा वर्गों और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के लिये उपबन्धित किया जाना अपेक्षित हो।

आज्ञा से,

(नितेश कुमार झा)
सचिव

परिशिष्ट
नियम–4(2) देखें

क्र. सं.	पदनाम	सृजित पदों की संख्या
1	निरीक्षक आरमोरर	01
2	उपनिरीक्षक आरमोरर	04
3	मुख्य आरक्षी आरमोरर	28
4	आरक्षी आरमोरर	40

संख्याः 245 (1)/XX—7—2016—01(66)2016, तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को उपर्युक्त अधिसूचना की प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड।
3. कार्यालय महालेखाकार, उत्तराखण्ड।
4. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, मुद्रण लेखन सामग्री, रूड़की, हरिद्वार को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अधिसूचना की 250 प्रतियां प्रकाशित कराते हुए शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
6. निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड को इस आशय के साथ कि उक्त अधिसूचना को राज्य सरकार की विभागीय वैबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(पूरन गिरि)
अनु सचिव